कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम का लागू किया जाना

2063. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय से सम्बद्ध हिंदी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठकें हुई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सभी स्तरों पर गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में नामित किए जाने के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ;

(ख) मन्त्रालय, इसके विभागों' संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों में, हिंदी अनुभाग को छोड़ कर किस-किस अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा यह किस-किस तारीख से किया जा रहा है तथा किन मामलों में हिन्दी को अब तक नहीं अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक पालन न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए 20 वर्ष हो चुके हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) वर्ष 1987 के दौरान हिन्दी सलाहकार समिति की केवल एक ही बैठक हुई है । राजभाषा कार्यान्वयन समिति में अब तक किसी गैर-सरकारी सदस्य को प्रेक्षक के रूप में नामित नहीं किया गया है ;

(ख) इस मंत्रालय अथवा इसके विभागों तथा संबद्ध कार्यालयों में कोई भी अनुभाग हिन्दी अनुभाग को छोड़कर सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में नहीं कर रहा है । (फिर भी कुछेक, अनुभागों में कार्य की कुछ मदें केवल हिन्दी में ही निपटाई जा रही हैं)

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा (3) का कार्यान्वयन किया जा रहा है और सामान्य आदेशों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं को द्विभाषिक रूप में जारी किया जा रहा है ।

इलैक्ट्रानिकी विभाग में राजभाषा अधिनियम का लागू किया जाना

2064. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय से सम्बद्ध हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठकें हुई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सभी स्तरों पर गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में नामित किये जाने के संबंध में क्या स्थिति है ;

(ख) मंत्रालय, इसके विभागों, संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों में, हिन्दी अनुभाग को छोड़कर, किस-किस अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा यह किस-किस तारीख से किया जा रहा है तथा किन मामलों में हिन्दी को अब तक नहीं अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण है ; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक पालन न किये जाने के क्या कारण है जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए 10 वर्ष हो चुके है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग, इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग के लिए एक संयुक्त सलाहकार समिति गठित की गई है । वर्ष 1987 में अभी तक समिति की दो बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं । राज-भाषा विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में संबंधित मंत्रालयों/विभागों की हिन्दी सलाहकार समितियों के किसी एक से गैर-सरकारी सदस्य को पर्यवेक्षक के रूप